

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

अधिसूचना


जयपुर, दिनांक: 27 फरवरी 2009

राजस्थान स्टॉम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम संख्या 14) की धारा 5 का उप-धारा (1) संशोधित धारा 9 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राजस्थान सरकार, यह राय देने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना सनीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.2(11)वित्त/कर/2003-90 दिनांक 12.02.2009 में निम्नालिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

संशोधन


उक्त अधिसूचना में अभिव्यक्त "28.02.2009" जहाँ कहीं भी आयी है, उसके स्थान पर अभिव्यक्त "31.03.2009" प्रतिस्थापित की जायेगी।

प.2(11)वित्त/कर/03-95
राज्यपाल के आदेश से


(आदित्य पारीक)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राज्य केंद्रीय मुद्रणालय, जयपुर को आज के असाधारण राजपत्र भाग 4(ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया अधिसूचना की 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर को मय बिल भिजवाने का श्रम करावे।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (वित्त मंत्री) महोदय, राजस्थान।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव विधि विभाग।
5. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर।
6. आतिरेक्त क्लर्क, (मुद्रांक) जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव वित्त।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
9. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
10. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
11. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव